

06^S/₂₄

पञ्जावली पेश हुई। वादी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। पञ्जावली के अनवान के अनुसार तीन बार आवाजें लगाई जाने के बावजूद वादी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। अतः पञ्जावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पञ्जावली फ़ैसल शुमार लेकर नंबर से कम हो।



3
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली